**विक्रय की उद्घोषणा**

(आदेश XXI, नियम 66) नोटिस एतद्द्वारा दी जाती है कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश XXI के नियम 64 के अधीन एक आदेश ................... की रकम का विक्रय आज की तारीख तक खर्चे एवम् ब्याज के बराबर होने वाले अन्तर में वर्णित वाद (1) में डिक्रीदार के दावे की तुष्टि में संलग्न की गयी अनुसूची में उल्लिखित की गयी कुर्क की गयी सम्पत्ति के विक्रय हेतु इस न्यायालय द्वारा पारित किया जा चुका है।

विक्रय लोक नीलामी द्वारा की जायेगी और सम्पत्ति अनुसूची में विनिर्दिष्ट ढेर में विक्रय हेतु पेश की जायेगी। विक्रय नीचे अनुसूची में यथावर्णित ऊपर नामित किये गये निर्णीत ऋणियों की होगी, और जहाँ तक कथित सम्पत्ति की कुर्की करने के दायित्वों या दावों को अभिनिश्चित किया जा चुका है, प्रत्येक ढेर के विरुद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट वे सभी हैं।

स्थगन के किसी एक आदेश के अभाव में विक्रय..................में.. .................बजे.......... प्रारम्भ होने वाले मानसिक विक्रय में................... द्वारा किया जायेगा। किसी भी लाट की बोली अन्तिम होने के पूर्व किये जा रहे या किये गये भुगतान विक्रय के खर्चों का और विनिर्दिष्ट ऊपर ऋण को इस प्रकार रोक दिया जायेगा।

विक्रय पर जनता को या तो व्यक्तिगत रूप से या सम्यक् रूप से प्राधिकृत किये अभिकर्ता द्वारा बोली लगाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। किसी बोली द्वारा, या उस निमित्त ऊपर वर्णित निर्णीत ऋणियों को इस प्रकार स्वीकृत किया जायेगा और न ही उसमें कोई विक्रय दी गयी पहले से न्यायालय की अभिव्यक्त अनुज्ञा के बिना विधिमान्य होगा।

**निम्नलिखित विक्रय की अग्रिम शर्ते हैं**

1. नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों का विवरण न्यायालय की सर्वोत्तम सूचना के लिए दिया गया है लेकिन न्यायालय इस उद्घोषणा में किसी गलती लोप के गलत विवरण के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
2. रकम जिसके द्वारा बोलियां बढ़ायी जानी है, विक्रय संचालित करने वाले अधिकारी द्वारा अवधारित किया जायेगा। बोली रकम के बारे मे या बोली लगाने वाले के बारे में उद्भूत होने वाले किसी विवाद की घटना में, लाट नीलामी को पुनः पेश किया जायेगा।
3. सबसे ऊँची बोली लगाने वाले को किसी भी लाट का क्रेता होना घोषित किया जायेगा: परन्तु सदा ही यह कि वह बोली लगाने के लिए विधितः अर्हित है, और परन्त यह तल जब कि यह सर्वोच्च बोली की स्वीकृति से इन्कार करने हेतु विक्रय करने वाले न्यायालय या अधिकारी के विवेकाधिकार में होगा। जब प्रस्तावित किया गया मूल्य इतना अपर्याप्त प्रतीत होता है कि इसको वैसा करने की सलाह देने योग्य बनाया जा सके।
4. अभिनिर्धारित कारणोंवश, यह आदेश XXI के नियम 69 के उपबन्धों के सदैव अध्यधीन रहते हए इसको स्थगित करने के लिए विक्रय का संचालन करने वाले अधिकारी के विवेकाधिकार में होगा।
5. जंगम सम्पत्ति के मामले में, प्रत्येक लाट के मूल्य का संदाय विक्रय के समय पर या जैसे विक्रय करने वाला अधिकारी निर्देश दे उसके शीघ्र पश्चात् संदाय किया जायेगा, और संदाय के व्यतिक्रम. में सम्पत्ति पुनः प्रस्तुत की जायेगी और पुनः विक्रय की जायेगी।
6. स्थावर सम्पत्ति के मामले में, क्रेता घोषित किया जाने वाला व्यक्ति विक्रय का संचालन करने वाले अधिकारी को उसके क्रयधन की रकम पर 25 प्रतिशत के निक्षेप की ऐसी घोषणा के ठीक बाद संदाय करेगा और ऐसे निक्षेप के व्यतिक्रम में, सम्पत्ति तुरन्त प्रस्तुत की जायेगी और पुनः विक्रय की जायेगी।
7. क्रेता धन की सम्पूर्ण रकम का संदाय, ऐसे दिन को अपवर्जित कर, सम्पत्ति के विक्रय के पश्चात् पन्द्रहवें दिन या यदि पन्द्रहवां दिन रविवार या अन्य अवकाश का हो, तो पन्द्रहवें दिन के पश्चात् प्रथम कर्यालय दिवस पर न्यायालय के बन्द रहने के पूर्व किया जायेगा।
8. अनुज्ञात कालावधि के अन्दर क्रय-धन के बकाये के संदाय के व्यतिक्रम में, सम्पत्ति का विक्रय की एक नवीन अधिसूचना के जारी किये जाने के पश्चात् पुनः विक्रय किया जायेगा। निक्षेफ, विक्रय के खर्च का व्यय चुकाने के पश्चात यदि न्यायालय ठीक समझे, सरकार को समपहृत कर दिया जायेगा और व्यतिक्रमी क्रेता सम्पत्ति के या उस रकम के किसी भाग के संपूर्णदावे का समपहरण करेगा, जिसका यह पश्चातवर्ती विक्रय करेगा।

**सम्पत्ति की सारणी**

**........................**